

III/केगा/सिंगरौली/भृ-प्र०/2017/3536

व्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्रालियर कैम्प कोर्ट रीवा,  
जिला-रीवा(म.प्र.)



प्र०-301-

रावदल कोटाल ७ लाख  
रुपये | २६.७.१७

कौशल प्रसाद नाई पिता स्व० रामनारायण नाई उम्र 50 वर्ष, पेशा  
मजदूरी निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला  
सिंगरौली (म.प्र.)

भगवानदास नाई पिता स्व० रामनारायण नाई उम्र 55 वर्ष, पेशा  
मजदूरी निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला  
सिंगरौली (म.प्र.)

- 3- रामनरेश नाई पिता रामनारायण नाई उम्र 45 वर्ष, पेशा मजदूरी  
निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला सिंगरौली(म.प्र.)
- 4- दिनेश पिता रामनारायण नाई उम्र 40 वर्ष, पेशा मजदूरी निवासी  
ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 5- बालमुकुन्द नाई पिता रामनारायण नाई उम्र 35 वर्ष, पेशा मजदूरी  
निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला सिंगरौली(म.प्र.)
- 6- श्रामरक्षा नाई पिता स्व० माया रामनाई उम्र 50 वर्ष, पेशा मजदूरी  
निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला सिंगरौली(म.प्र.)
- 7- पारसनाथ नाई पिता स्व० मायारामनाई उम्र 30 वर्ष, पेशा मजदूरी  
निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला सिंगरौली(म.प्र.)
- 8- राधेश्याम नाई पिता स्व० मायारामनाई उम्र 29 वर्ष, पेशा मजदूरी  
निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील-सिंगरौली जिला सिंगरौली(म.प्र.)

३.६.१७

- 9— अरुण कुमार नाई पिता स्व० मायारामनाई उम्र 22 वर्ष, पेशा  
मजदूरी निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील—सिंगरौली जिला  
सिंगरौली (म.प्र.)
- 10— तारीफ शेख पिता स्व० श्री मिजाज शेख उम्र 58 वर्ष, पेशा  
मजदूरी निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील—सिंगरौली जिला  
सिंगरौली (म.प्र.)
- 11— अलैहिम शेख पिता स्व० श्री मिजाज शेख उम्र 55 वर्ष, पेशा  
मजदूरी निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील—सिंगरौली जिला  
सिंगरौली (म.प्र.)
- 12— मुस्तकीम शेख पिता स्व० श्री मिजाज शेख उम्र 50 वर्ष, पेशा  
मजदूरी निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील—सिंगरौली जिला  
सिंगरौली (म.प्र.)
- 13— अमूम शेख पिता मुस्तकीम शेख उम्र 30 वर्ष, पेशा मजदूरी  
निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील—सिंगरौली जिला सिंगरौली(म.प्र.)
- 14— ईश्वरदयाल नाई तनय कौशल प्रसाद नाई, उम्र 28 वर्ष, पेशा  
मजदूरी निवासी ग्राम खटखीरिया, तहसील—सिंगरौली जिला  
सिंगरौली (म.प्र.)

आवेदक

बनाम

मोप्र० शासन

\_\_\_\_\_ अनावेदक

चायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर  
जिला—सिंगरौली मोप्र० द्वारा प्रकरण  
क्रमांक—0007(आर.सी.एम.एस.)

/निगरानी / 2015–2016 मे पारित  
आदेश दिनांक 11.09.2017 के विरुद्ध

M

म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा ५० के  
अधीन पुनरीक्षण याचिका

मान्यवर,

आवेदक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

- 1— अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सुनवाई के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन कर पारित किया गया आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2— अपर कलेक्टर के यहां चल रहे निगरानी प्रकरण मे उस विवादित भूमि का जिस पर आवेदकगण जो कि सिंगरौली के मूल निवासी है, का पूर्जजों के समय से मकान बना है, कुआं खुदा है, और पेड़ लगाये हुये है, का फर्जी तशीके से लल्लू राम ने अपने नाम पट्टा करा लिया था, उक्त पट्टे की शिकायत होने पर कलेक्टर सिंगरौली ने लल्लू राम के नाम का फर्जी व्यवस्थापन रद्द करते हुये यह निर्देश दिया था कि आपत्तिकर्ता कौशल प्रसाद नाई वगैरह के मकान बने होने और कब्जे के सम्बन्ध मे सुनवाई का मौका देते हुये विधिवत जांच कराकर प्रतिवेदन मंगाया गया। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार के न्यायालय मे दिनांक 24.06.2014 की जांच का प्रतिवेदन अपर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा मंगाया जाना कहा गया है, किन्तु वह जांच कब की गई, इसकी जानकारी आपत्तिकर्तागण को कभी नहीं हुई, दरसल जमीन का फर्जी व्यवस्थापन कराने वाले रामलाल ने पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मिलाकर फर्जी जांच प्रतिवेदन तैयार करवा लिया जिसमे आपत्तिकर्ता आवेदकगण की भूमि और मकान का उल्लेख नहीं किया गया जो आज भी मौजूद है, यदि यह असत्य रिपोर्ट अपर कलेक्टर के न्यायालय मे बिना न्यायालयीन परीक्षण के यथावत पढ़ ली गई, तो परिणाम यह होगा कि मौके पर आवेदकों का जो कि मरीब और भूमिहीन व्यक्ति है, का मकान और कब्जा

324

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सिंगरौली / 2017/ 3536      जिला सिंगरौली

कौशल प्रसाद / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री श्रवण पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 007 / निगरानी / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11.09.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p> 	